न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2016

बउनवान

अकरम उम्र 54 साल पुत्र श्री मेहमूद खान जाति मुसलमान निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राजस्थान) **(रेंस्पोडेंट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

नामांतरण संख्या 116 दिनांक 14.06.2016 ग्राम करीरिया तहसील मांगरोल

उपस्थिति :– 1. श्री असलम भारती अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 12.05.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि खसरा नंबर 7 रकबा 15 बीघा किस्म मेरघांस वाके माल करीरिया तहसील मांगरोल पर दिनांक 14.04.2016 को गैरखातेदारी का नामान्तरकण निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपील इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनता से विवेचन नहीं किया है, केवल भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 15 बीघा ग्राम करीरिया आवंटन दिनांक 09.06.1981 सीलिंग से अवाप्त की गई आराजी है और कीमतन अपीलांट को आवंटित की गई थी, आवंटन के समय आराजी की किस्म मेरघांस थी, जिस पर दिनांक 30.10.1981 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर अपीलांट को दखल दिया गया तब से अपीलांट निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटन राशि 09.05.2016 को 15600/– रूपये जमा करा दिये तथा अपीलांट की ओर कोई राशि बकाया नहीं है। इसी आधार पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोला गया था लेकिन दिनांक 14.04.2016 को भू राजस्व केम्प ईश्वरपुरा में भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बिना पटवारी की मौका रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। अतः तहसीलदार मांगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपीलांट की गैर खातेदारी मे दर्ज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:10 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर उसे ही उनकी अन्तिम बहस माने जाने का कथन किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता हैं।

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत लिखित बहस इस आशय की है कि अपीलांट को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.06.1981 को सिलिंग ओल्ड एक्ट के तहत भूमि का कीमतन आवंटन 105 रूपये प्रतिबीघा की दर से आवंटित की जाकर कब्जा दिनांक 30.10.2021 को दिया गया था। इसी दौरान सेटलमेन्ट कार्य चलने से रेकार्ड सेटलमेन्ट में चला जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा दिनांक 02.02.2016 को तहसीलदार मांगरोल को उक्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा पटवारी हल्का, ऑफिस कानूनगो एवं टी.आर.ए. से प्रकरण की विस्तृत जांच करवाकर आदेश क्रमांक भू.आवं./1499–1500 दिनांक 10.05.2016 जारी कर अपीलांट द्वारा कुल 15625 रूपये जमा करने पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा जर्ये चालान उक्त राशि बैंक में जमा करवा दी। तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा कब्जा काश्त होने तथा आवंटन शर्तों की पालना के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 116 दिनांक 11.05.2016 को खोला गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना मौका देखे की गई रिर्पोट दिनांक 14.06.2016 अनुसार भूमि को खाल खद्दर होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरमा दिया गया। खसरा नंबर 27 में अन्य 15–20 व्यक्तियों को भी आवंटन पूर्व में किया गया है जिन्हे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। इन्ही आवंटियों के मध्य अपीलांट की भूमि भी स्थित है जिस पर अपीलांट दखल तिथि से काबिज काश्त है, जो मामूली उंची नीची है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट के खाते उक्त आवंटित भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि उक्त नामान्तकरण में वर्णित भूमि की किस्म खाल खद्दर है जो प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित भूमि है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विवादित नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 14.06.2016 में वर्णित भूमि प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां